दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुर्ननिर्माण में तक्नीकी सहयोग हेतु सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 16 अगस्त, 2013 को सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में उनके कार्यालयी कक्ष में प्रातः 11:00 बजे से एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारी/कार्मिक उपस्थित थे–

1. श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड शासन।
2. डा0 ए0के0 मित्तल, प्र0 वैज्ञानिक, सी0बी0आर0आई0, रूड़की।
3. श्री अशोक कुमार शर्मा, प्र0 वैज्ञानिक, सी0बी0आर0आई0, रूडकी।
4. श्री ए0के पन्त, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग।
5. श्री आर0एस0 रावत, विशेषज्ञ, निर्माण कार्य, राज्य परियोजना कार्यालय।
6. श्री बृजमोहन रावत, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, टिहरी।
7. श्री पी0के0 बिष्ट, संयुक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना।
8. श्री के0 स्वरूप, विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय,
9. श्री बी0पी0 मैंदोली, समन्वयक, निर्माण कार्य, राज्य परियोजना कार्यालय।
10. श्री उमेश कुमार गोसांई, अवर अभियन्ता, राज्य परियोजना कार्यालय।

- बैठक में सर्वप्रथम राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु रू0 735.26 लाख की धनराशि स्वीकृति प्राप्त हुई है वहीं रू0 500.00 लाख की धनराशि वृहद मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत हुई है। इस प्रकार कुल रू0 1253.26 लाख की स्वीकृति पुर्ननिर्माण एवं वृहद मरम्मत हेतु हुई है। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा सुझाव दिया गया है कि इन विद्यालयों के पुर्ननिर्माण का कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाना है ताकि बच्चों को पठन--पाठन हेतु पाठशालायें उपलब्ध हो सकें एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता हेतु जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर अनुश्रवण प्रकोष्ठों का निम्नवत् गठन किया जा सकता है--

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति	
अध्यक्ष/नोडल अधिकारी	अपर राज्य परियोजना निदेशक
सदस्य	श्री कबीर वाजयेयी, सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। सी0बी0आर0आई0 द्वारा नामित वैज्ञानिक/विशेषज्ञ। अधिशासी अभियन्ता निर्माण कार्य, विशेषज्ञ, समन्वयक एवं अवर अभियन्ता, निर्माण कार्य, रा0प0का0।
जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति	
अध्यक्ष	जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
सदस्य	अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, जिला परियोजना अधिकारी।

उक्त के क्रम में सचिव, विद्यालयी शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि तत्काल उपरोक्तानुसार राज्य एवं जनपद स्तर पर अनुश्रवण प्रकोष्ठों का गठन कर लिया जाये जो सर्व शिक्षा अभियान के समस्त निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेंगे एवं अपनी आख्या से राज्य परियोजना कार्यालय को समय–समय पर अवगत करायेंगे।

- बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को नोडल एजेंसी नामित कर लिया जाये। तदनुसार

नोडल एजेन्सी के अभियन्ताओं द्वारा आगणनों के प्रतिहस्ताक्षर एवं तकनीकी स्वीकृतियां सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जायेंगी।

- बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण कार्यों का निर्माणाधीन अवस्था में तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु सी0बी0आर0आई0, रूड़की को नामित कर लिया जाये एवं उनके साथ समझौता ज्ञापन (MoU) गठित कर लिया जाये।
- बैठक में सर्वसम्मति व्यक्त की गयी कि भवनों का निर्माण इस तकनीकी से कर लिया जाये कि वह किसी भी आपदा यथा—भूकम्प, बाढ़, भूस्खलन प्रतिरोधी हो। वहीं कक्षा—कक्षा पूर्ण हवादार हो, जहाँ किसी भी प्रकार की घूटन न हो। इस हेतु प्री—फैब विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं तकनीकी परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में एक सहायक अभियन्ता एवं विकासखण्ड स्तर पर एक अवर अभियन्ता की आवश्यक रूप से व्यवस्था कर ली जाये। इस हेतु लगभग रू0 75.00 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से निवेदन कर लिया जाये।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं की व्यवस्था नहीं हो पायी है, उन जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अभियन्ताओं से सहयोग प्राप्त कर लिया जाये।

अन्त में सभी का धन्यावाद कर बैठक सम्पन्न हुई।

* * * * * * *

(मनीषा पंवार)
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय राज्य परियोजना कार्यालय,
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : / /दै0आ0 (32)/2013-14 दिनांक अगस्त, 2013

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, देहरादून।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान।
6. समस्त प्रतिभागी गण।
7. गार्ड फाईल।

(मनीषा पंवार)
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन